

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 09 सितम्बर, 2020

संख्या वि०स०-विधायन-विधेयक/1-10/2020.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 5) जो आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/—
सचिव,
हि० प्र० विधान सभा।

2020 का विधेयक संख्यांक 5

औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 22 का संशोधन।
3. धारा 25च का संशोधन।
4. धारा 25ट का संशोधन।
5. 2020 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

2020 का विधेयक संख्यांक 5

औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्यांक 14) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह 9 जुलाई, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 22 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 22 की उपधारा (1) और (2) में, “लोक उपयोगी सेवा” शब्दों के पश्चात् “और गैर-लोक उपयोगी सेवा” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. धारा 25च का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 25च के खण्ड (ख) में, “पंद्रह दिन” शब्दों के स्थान पर “साठ दिन” शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 25ट का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 25ट की उपधारा (1) में, “एक सौ” शब्दों के स्थान पर “दो सौ” शब्द रखे जाएंगे।

5. 2020 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन विधिमाम्य रूप में की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

आर्थिक उदारीकरण के युग में, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), जो एक केन्द्रीय विधान है, के कुछ उपबंध अप्रचलित हो गए हैं क्योंकि इन उपबंधों को पिछले कई वर्षों से संशोधित नहीं किया गया है। यह पाया गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अप्रचलित उपबंध राज्य में प्राइवेट विनिधान को आकृष्ट करने में बाधक हैं और राज्य में कारबार करने की सुगमता को भी बाधित कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में औद्योगिक विनिधान, उत्पादन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने तथा कारबार करने की सुगमता में और वृद्धि करने तथा श्रम विधियों के प्रवर्तन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम में कुछ संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं। भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए “मेक इन इण्डिया” कार्यक्रम के अनुसार देश में “कारबार करने की सुगमता” भी अनिवार्यताओं में से एक है। इसलिए, औद्योगिक स्थापनों के साथ-साथ कर्मकारों को एक सहायक और कारबार अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के कुछ उपबन्धों को संशोधित करना आवश्यक हो गया है।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करना अनिवार्य हो गया था। इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के अनुदेशों को अभिप्राप्त करने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 4) तारीख 7 जुलाई, 2020 को प्रख्यापित किया गया था जिसे राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 9 जुलाई, 2020 को प्रकाशित किया गया था। अब, उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(बिक्रम सिंह)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख :, 2020

**THE INDUSTRIAL DISPUTES (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT)
BILL, 2020**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 22.
3. Amendment of section 25F.
4. Amendment of section 25K.
5. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 4 of 2020 and savings.

Bill No. 5 of 2020

**THE INDUSTRIAL DISPUTES (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT)
BILL, 2020**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) in its application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Industrial Disputes (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on 9th day of July, 2020.

2. Amendment of section 22.—In section 22 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) in its application to the State of Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the “principal Act”), in sub-sections (1) and (2), after the words “public utility service”, the words “and non-public utility service” shall be inserted.

3. Amendment of section 25F.—In section 25F of the principal Act, in clause (b), for the words “fifteen days”, the words “sixty days” shall be substituted.

4. Amendment of section 25K.—In section 25K of the principal Act, in sub-section (1), for the words “one hundred”, the words “two hundred” shall be substituted.

5. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 4 of 2020 and savings.—(1) The Industrial Disputes (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been validly done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the era of economic liberalisation, some of the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) which is a Central legislation, have become outdated because these provisions have not been amended for the last so many years. It has been found that the outdated provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 are impediment in attracting the private investment and are also hampering the ease of doing business in the State. In order to increase industrial investment, production and employment opportunities and further enhancement of ease of doing business in the State of Himachal Pradesh and to ensure transparency in enforcement of the Labour Laws, some amendments are necessary in the aforesaid Act. As per “Make in India” programme launched by the Government of India, one of the requirements is “Ease of doing business” in the Country. Therefore, to provide a conducive and business friendly environment to the Industrial establishments as well as to the workmen, there is an urgent need to amend some provisions of the Industrial Disputes Act, 1947.

Since, the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the amendments in the Industrial Disputes Act, 1947 in its application to the State of Himachal Pradesh had to be made urgently, therefore, the Governor of Himachal Pradesh, after obtaining the instructions from the President of India, in exercise of the powers conferred under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, promulgated the Industrial Disputes (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 4 of 2020) on 7th July, 2020 which was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 9th July, 2020. Now, the said Ordinance is being replaced by a regular Legislation without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(BIKRAM SINGH)
Minister-in-Charge.

SHIMLA :
THE, 2020